भाग अ

निगरानी-5804/2018/सागर/भू-रा.....

5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर (म.प्र.)

निगरानी - 5804/2018/सागर/भू.रा.

1. मोहन पिता फूलसिंह
2. कड़ोरी पिता सरमन
3. अमोल पिता चिंतामन
4. चिंतामन पिता मुलायम
5. हेमराज पिता दीना
6. धीरे पिता दीना
7. रामप्रसाद पिता दुर्जन

सभी निवासी ग्राम नगना रा. नि. मं. नरयावली तह0 व जिला सागर म.प्र.

..............आवेदकगण

/ /विरूद्ध/ /

1. मूरतसिंह पिता भगवानसिंह
   निवासी ग्राम रामछागरी तह0 व जिला सागर म.प्र.
2. लक्ष्मन पिता उद्देत
3. दामोदर पिता उद्देत
4. रामबाई पिता उद्देत

सभी निवासी ग्राम गढ़ौली तह0 व जिला सागर म.प्र. ....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंर्तगत धारा 50 निगरानी म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना है –

आवेदकगण श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर के प्र.कं. 404अ/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 22/11/2017 से परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है–

संक्षिप्त तथ्य :– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदकगण ग्राम

प्रकरण कमांक निगरानी 5804/2018/सागर/भू0रा0
मोहन आदि विरूद्ध मूरतसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–5–2019	आवेदक अभिभाषक श्री अनिल चौबे उपस्थित। आवेदक अभिभाषक की ओर से कायमी पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष समयबाधित अपील प्रस्तुत की थी, जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 22–11–2017 से अवधि बाह्य होने के आधार पर निरस्त की। अपर आयुक्त ने सकारण आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होती है। अपर आयुक्त के अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में भी समयबाधित निगरानी प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के संबंध में म्याद अधिनियम की धारा 5 एवं शपथपत्र में कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये हैं जिनके आधार पर विलम्ब को क्षमा किया जा सके। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी समयबाधित एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर. के. जैन) 10/5/19 सदस्य	